सं. एवी-18050/1/2017-एआई
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली - 110 003, दिनांक 10.07.2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : **जहां एअर इंडिया अपनी उड़ानें प्रचालित नहीं करता है उन क्षेत्रों में निजी एयरलाइनों द्वारा यात्रा करने के लिए अनुमति पर स्पष्टीकरण**

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. एवी-18050/1/2017-एआई, दिनांक 05.06.2017 का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पश्चात, मंत्रालय में काफी प्रश्न प्राप्त हुए हैं कि क्या इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. एवी-18050/1/2017-एआई, दिनांक 05.06.2017 में सम्मिलित प्रावधान अवकाश यात्रा रियायत के मामलों में भी लागू हैं। यह प्रश्न भी पूछे गए हैं कि क्या उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान उन मामलों में भी लागू हैं जहां दो शहरों के बीच एअर इंडिया की कोई उड़ान नहीं है परन्तु वे एअर इंडिया की किसी संयोजी उड़ान के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

2. इस मंत्रालय में उपर्युक्त विषयों पर विचार किया गया है तथा यह सूचित किया जाता है कि कार्यालय ज्ञापन सं. एवी-18050/1/2017-एआई, दिनांक 05.06.2017 में सम्मिलित प्रावधान एलटीसी के मामले में लागू नहीं हैं। आगे यह भी सूचित किया जाता है कि निजी एयरलाइनों द्वारा यात्रा करने की छूट केवल ऐसे क्षेत्रों में दी गई थी जहां एअर इंडिया लिमिटेड प्रचालन नहीं करती है। तथापि, यदि कोई क्षेत्र एअर इंडिया की किसी संयोजी उड़ान से जुड़े हुए हैं तो सरकारी अधिकारियों को वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 19024/1/2009-ई. IV, दिनांक 07.06.2016 में दिए गए प्रावधान के अनुसार वहां एअर इंडिया द्वारा यात्रा करने को वरीयता दी जानी चाहिए।

चन्द्र किशोर शुक्ला

(चंद्र किशोर शुक्ला)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 24619282

सेवा में

भारत सरकार के सभी सचिव
भारत सरकार के सभी वित्त सलाहकार